न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00254 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द, जाति खाती, निवासी ग्राम जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकामान –

1– नट्टीबाई बेवा रामप्रसाद, जाति खाती, निवासी ग्राम जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
2– दीपक पुत्र रामप्रसाद, जाति खाती, निवासी ग्राम जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
3– चेतन पुत्र रामप्रसाद, जाति खाती, निवासी ग्राम जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
4– रवि पुत्र रामप्रसाद, जाति खाती, निवासी ग्राम जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान
5– गोलू पुत्र रामप्रसाद, जाति खाती, निवासी ग्राम जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

मंदिर श्री गणेश जी बिराजमान देह खातेदार जरिये राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी. एल. जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 200/2015 निर्णय दिनांक 01.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भोज्याहेडी पटवार हल्का जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल, जिला बारां में हाल खसरा नं. 55 रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नं. 57 रकबा 3.16 हेक्टर कुल 2 किता रकबा 4.61 हेक्टर स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी में मन्दिर श्री गणेश जी विराजमान खातेदार के रूप में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 01.06.2017 से वाद वादी खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवचन नहीं करने में भारी भूल की है। वादी द्वारा दिनांक 03.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद ग्राम भोज्याहेडी, पटवार जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरोल की हाल खसरा नं. 55 रकबा 1.45 हेक्टर व खसरा नं. 57 रकबा 3.16 हेक्टर कुल 2 किता 4.61 हेक्टर के बाबत वाद पेश किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ग्राम जलोदा तेजाजी की वादग्रस्त भूमि जो सं0 2009, 2010, 2011, 2012 में माफी श्री गणेश जी बिराजमान कोटा के नाम दर्ज थी तथा उस समय यह भूमि जेली माधो खाती व मूलचन्द के कब्जे में चली आ

रही थी तथा दिनांक 15.10.1955 के दिन जब राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस दिन जमाबंदी के कॉलम नं. 6 में जो सब टीनेन्ट माधो बेटा औंकार खाती जलोदा तेजाजी का नाम दर्ज था। माधो व मूलचन्द सगे भाई थे तथा मूलचन्द का लडका अपीलांट है, माधोलाल के कोई संतान नहीं हुई। इस कारण दिनांक 15.10.1955 के दिन इस भूमि पर अपीलांट के पिता काबिज थे जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सं. 2021 से भी होती है एवं सं. 2012 की जमाबंदी के कॉलम नं. 1 में भी इंतकाल नं. 290 से अपीलांट के पिता का नाम दर्ज है। जिसको आज दिन तक किसी ने चुनौती नहीं दी है तथा दिनांक 15.10.1955 को जो पर्चा सैटलमेंट द्वारा जारी किया, उसमें भी उपकृषक के रूप में अपीलांट का नाम दर्ज है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातों को अनदेखा करते हुए दिनांक 01.06.2017 को वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय की अपीलांट को कोई सूचना नहीं थी और ना ही कोई तारीख पेशी दी गयी थी क्योंकि यह पत्रावली दिनांक 02.12.2015 से अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार थी तथा इसके बाद बराबर पत्रावली जवाब में चलती रही। रेस्पोडेंट ने जवाब पेश नहीं किया तथा दिनांक 01.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये बिना वादी को सुने अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अपीलांट को 01.06.2017 की तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी गई तथा बिना सूचना के दावा खारिज किया है जिसकी कोई डिकी नहीं बनायी गयी। दिनांक 01.06.2017 को राजस्व अभियान के तहत गांव में अभियान चल रहे थे तथा अपीलांट को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.06.2017 की कोई डिकी नहीं बनायी है। इस कारण निर्णय के अंतिम पेरे को डिकी मानकर आदेश 20 नियम 6 क(2) के तहत डिकी मानकर यह अपील पेश की जा रही है। इसके लिये भी आदेश 20 नियम 6 क(2) को प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर दिया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.07.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2022–23 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 336 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 03.12.2015 के अनुसार वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन एड0 द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 28.12.2015 को पेश हो। पत्रावली में दिनांक 28–12–2015 से दिनांक 20–04–2017 तक प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन तामील प्राप्त हुए है या नहीं, इसका कोई अंकन दर्ज नही है। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है और ना ही किसी की ओर से साक्ष्य पेश किये गये। पत्रावली में तनकीयात भी कायम नहीं की गयी है। पत्रावली में सीधे ही दिनांक 01–06–2017 को तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जो कि त्रुटिपुर्ण होने से निरतस्तनीय है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को विधि सम्मत रूप से नोटिस तामील करवाये जाकर, उनसे जवाब प्राप्त कर, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा